2

भाषा के विविध रूप

1. बोली

(i) बोली : विविध परिभाषाएँ (Subdialect)

1. **श्यामसुन्दर दास**—(i) बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और गँवारू बोली से है। यह तनिक भी साहित्यिक नहीं होती है और बोलनेवाले के मुख में ही रहती है। (ii) बोली भाषा की स्वाभाविक इकाई होती है। (iii) बोली, व्यक्ति बोलियों का महत्तम समवर्त्तक होती है। (iv) एक छोटे भूखंड में निकटस्थ मानव-समुदाय भाषा के जिस रूप से विचारों का आदान-प्रदान करता है, उसे बोली की संज्ञा दी जाती है।—[**भाषाविज्ञान**]
2. **भोलानाथ तिवारी**—किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप में जिसमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो स्थानीय बोली या उपबोली है। बहुत सी मिलती-जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली है और मिलती-जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा है।—[**हिन्दी भाषा का इतिहास**]
3. **पी. डी. गुणे**—बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में परस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जा सकता है।—[**तुलनात्मक भाषा विज्ञान**]
4. **कपिलदेव द्विवेदी**—बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल से रहता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता होती है। इसमें घरेलू शब्द और देशज शब्दों का भी पर्याप्त प्रभाव रहता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। इसमें साहित्य रचना इत्यादि का अभाव रहता है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं।—[**भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र**]

Scanned with CamSc

5. **मेरयो पेई** (Mario Pei)—एक विशेष क्षेत्र के निम्नवर्गीय व्यक्तियों की अलिखित लोकप्रिय वाणी को बोली कहते हैं।— [**ग्लोसरी ऑफ लिंग्विस्टिक टर्मीनोलॉजी**]

(ii) बोली : स्मरणीय तथ्य

- बोली के लिए फ्रांसीसी शब्द 'पात्वा' और अंग्रेजी में 'सब' डायलेक्ट शब्द प्रचलित है।
- कपिलदेव द्विवेदी सामान्य रूप से बोली को 'पात्वा' कहते हैं किन्तु भोलानाथ तिवारी का मत है कि बोली **'पैटवा'** (पात्वा) नहीं है।
- वस्तुतः, **भाषा का मूल रूप बोली है। बोली भाषा का आरंभिक रूप है।**
- भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है जो एक छोटे भू-भाग तक सीमित रहती है।
- बोली मूलतः भूगोल पर आधारित एवं सीमित क्षेत्र में व्यवहृत होती है।
- मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली है।
- बोली भाषा का मौखिक रूप है। बोलियों में साहित्यिक रचनाएँ नहीं होती हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है।
- बोली भाषा का विस्तृत रूप नहीं है।
- उच्चारण का ढंग और व्याकरणिक गठन पर बोली विशेष का अस्तित्व निर्भर करता है।
- एक विभाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियाँ होती हैं। जैसे-कौरवी के अंतर्गत मेरठी, मुजफ्फरनगरी, सहारनपुरी इत्यादि बोलियाँ। मेरठी बोली के अंतर्गत 'बड़ौती' जैसी बोलियाँ बेहद महत्त्वपूर्ण हैं।

(iii) बोली की विशेषताएँ

1. बोली स्थानीकृत होती है। वह एक जनपद एक तहसील या अन्य सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। यह बोली की **भौगौलिक विशेषता** है।
2. बोली का सामाजिक महत्त्व इस दृष्टि से है कि गाँव में रहनेवाले सामान्यजन, शिक्षितजन इत्यादि इसका प्रयोग करते हैं।
3. बोली का साहित्यिक महत्त्व लोकगीत, लोककथाओं या लोकसाहित्य की दृष्टि से है। बोली में शिष्ट-साहित्य का अभाव रहता है।
4. भाषावैज्ञानिक दृष्टि से बोली का महत्त्व है। प्रत्येक बोली का शब्दकोश तद्भव प्रधान होता है।

(iv) भाषा-बोली में अंतर

कपिलदेव द्विवेदी—1. बोली स्थानीय भाषा है, जिसका क्षेत्र जिला या कमिश्नरी तक होता है। विभाषा का क्षेत्र इससे बड़ा होता है। वह प्रांतीय भाषा के रूप में व्यवहृत

Scanned with CamSc

4. राजभाषा

- राजकाज की भाषा 'राजभाषा' है। राजकीय कार्यों में व्यवहृत होनेवाली भाषा 'राजभाषा' (Official Language) है।
- अंग्रेजी में राजभाषा को **'लिंग्वा फ्रेंका'** (Lingva Franca) कहते हैं।
- केन्द्र की राजभाषा को 'संघभाषा' कहा जाता है।
- **भारतीय संविधान में 14 सितम्बर 1949 को राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिली और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने पर राजभाषा के रूप में 'हिन्दी' को संवैधानिक मान्यता मिली।**
- **देवेन्द्रनाथ शर्मा** के अनुसार—"राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों में अभिप्रेत हैं-शासन, विधान, न्याय और कार्यपालिका। इन चार क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का यही अभिप्राय और प्रयोग है।"
- **नंददुलारे वाजपेयी**—राजभाषा उसे कहते हैं, जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र-व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा-पढ़ी के काम में लायी जाये। —[**राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएँ : नंददुलारे वाजपेयी**]

राजभाषा की विशेषताएँ—

- राजभाषा का सिर्फ अभिधात्मक प्रयोग होता है। इसकी भाषा लाक्षणिक, व्यंजनात्मक अथवा आलंकारिक नहीं होती है।
- परिनिष्ठित और एकार्थक शब्दावली ही काम्य।
- कार्यालयी प्रयोग में **कर्तृवाच्य** की प्रधानता अर्थात् राजतंत्र का कोई अधिकारी जब राजभाषा का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति न होकर तंत्र का अंग होता है। इसलिए वह वैयक्तिक रूप में न कहकर निर्वैयक्तिक रूप में कहता है।
- उसका कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है। जैसे—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कार्यवाही की जाये। स्वीकृति दी जा सकती है।
- राजभाषा अपने पारिवारिक शब्दों में हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों से पूर्णत: भिन्न है। उसके अधिकांश शब्द प्राय: कार्यालयी प्रयोग के लिए अपने ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
- इसकी भाषा औपचारिक होती है।

Scanned with CamSc